

7-11-17

पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक नेपाल सिंह गुर्जर एवं परमाल सिंह गुर्जर द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल उप०।

थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 144/17 अंतर्गत धारा-323, 294, 506 एवं 34 भा०दं०वि० की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदकगण की ओर से अपराध क्रमांक 145/17 अंतर्गत धारा-324, 323, 504 एवं 34 भा०दं०सं० की केस डायरी मंगाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। परंतु व्यक्त किया कि पूर्व में अन्य दो सहअभियुक्तगण हरेन्द्र सिंह एवं दिनेश उर्फ भूरा के जमानत आवेदन के निराकरण


48

प्रसाद
103/16
रहते

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>दिनांक 05.10.17 को सुबह लगभग 08:30 बजे फरियादी संतोष सिंह गुर्जर ग्राम लटकनपुरा में अपने घर पर बैठक में चाय पी रहा था तभी नेपाल सिंह, हरेन्द्र सिंह, परिमाल सिंह, दिनेश उर्फ भूरा आए और मां बहिन की अश्लील गालियां देने लगे। मना करने पर बैठक में ही आकर नेपाल ने संतोष के डण्डा मारा, जिससे बाएं हाथ की गाई में मुंदी चोटें आईं। भई भगवान सिंह बचाने आया तो परिमाल ने एक लाठी मारी जो उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे लगी छिलन आई। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में दर्ज कराई गई।</p> <p>केस डायरी का अध्ययन करने से यह भी स्पष्ट है कि भूरा की रिपोर्ट पर से दिनांक 05.10.17 को लगभग 08:30 बजे की घटना पर से संतोष सिंह गुर्जर, बनवारी सिंह एवं कल्लू उर्फ रविन्द्रसिंह के विरुद्ध अर्थात् फरियादी पक्ष के विरुद्ध धारा-324, 323, 504, 34 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उक्त अपराध क्रमांक 145/17 में इन तीनों के द्वारा भूरा की मारपीट करने एवं बनवारी के द्वारा बाएं बखा में मुंह में काटने के तथ्य हैं। भूरा उर्फ नरेन्द्र की मेडीकल रिपोर्ट में उसके घुटने में एवरेजन एवं बाएं भुजा में दांत से काटने की चोट पाई गई है।</p> <p>आवेदकगण की ओर से समानता का आधार लिया गया है। परंतु सहअभियुक्तगण हरेन्द्र सिंह एवं भूरा उर्फ दिनेश पर मारपीट का आक्षेप नहीं है। परंतु फरियादी की बैठक में आकर अभियुक्त नेपाल सिंह के द्वारा संतोष को डण्डा मारने तथा परिमाल के द्वारा बनवारी को लाठी मारने के तथ्य हैं। इस कारण आवेदकगण नेपाल सिंह एवं परमालसिंह का मामला सहअभियुक्तगण हरेन्द्र सिंह एवं दिनेश उर्फ भूरा के समान नहीं कहा जा सकता। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों तथा आवेदकगण के विरुद्ध आक्षेपों को देखते हुए आवेदकगण नेपाल सिंह एवं परमाल सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित</p>	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रतीत नहीं होता है अतः उनका अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">  (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड </p>	